

15-10-24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके वकील  
अनुपस्थित। आज अदालत समय में रुक-रुक  
कर तीन बार अलग-अलग आवाज दिलाये  
जाते कि बावजूद वादीगण व उनके वकील में से  
कोई उपस्थित नहीं हुए। अदालत उन्हें ले पूर्व  
एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी  
इन्हें से कोई ~~हजरत~~ हजरत नहीं हुए। इसके  
बाद ही देखा कि वादीगण व उनके वकील  
इस प्रकार में काई रुकी नहीं ले रहे हैं।  
लियाजा वादीगण का राजस्व काद अन्तर्गत  
क्राइम 9 रिफ्र 2 व क्राइम 9 रिफ्र 3 CPC  
के तहत मामल दायरी एवं अदालत के लिये दायरी  
दिना जाला है। पत्रावली प्रसन्न मुद्रा होकर  
दाखिल दफ्तार है।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

